न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 493/2017

1. कुलदीपसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. करनैलकौर पत्नि शमशेरसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरजन्टसिंह पुत्र शमशेरसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. इकबालसिंह पुत्र शमशेरसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजविन्द्रसिंह पुत्र बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. रविन्द्रसिंह पुत्र बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखजीतकौर पत्नि बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — प्रार्थीगण

<u>—:: बनाम ::—</u>

1. प्रदीप कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी सुलावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (खातेदार मुरब्बा नम्बर 37)
2. महेन्द्रसिंह पुत्र थमनसिंह
3. जगसीरसिंह पुत्र अवतारसिंह
4. इन्द्रजीत पुत्र गुरदीपसिंह
5. गुरतेजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
6. गुरदीपसिंह पुत्र गुरचरणसिंह

   } जाति जटसिख निवासी सुजावपुर तहसील श्रीगंगानगर (हिस्सेदार मुरब्बा नम्बर 36)
7. सुखराजसिंह पुत्र निरजंनसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (हिस्सेदार मुरब्बा नम्बर 35)
8. राजविन्द्र कौर पत्नि छिन्द्रपालसिंह निवासी हिम्मतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
9. पालकौर पत्नि सुखचैनसिंह निवासी सुन्दरपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. सिमरजीतकौर पत्नि धर्मसिंह निवासी हिम्मतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
11. हरपिन्द्रकौर पत्नि भूपेन्द्रसिंह निवासी चक 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. इकबालसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. बलजीतकौर पत्नि गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. [illegible] पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर हाल सूरतगढ़ [illegible]

15. परमिन्द्रकौर कलेर पुत्री गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर हाल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

(हिस्सेदारान मुरब्बा नम्बर 29)

16. कुलवीरसिंह पुत्र हरनेकसिंह } जाति जटसिख निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला
17. रणजीतसिंह पुत्र करनैलसिंह } श्रीगंगानगर (हिस्सेदार मुरब्बा नम्बर 20)

18. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 31.05.2018

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 का रकबा चक 8 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 7/8 मुरब्बा नम्बर 19 व मुरब्बा नम्बर 20 में स्थित है तथा प्रार्थीयान संख्या 2 ता 7 का रकबा चक 8 बी बड़ी के खाता संख्या 6/12 मुरब्बा नम्बर 12 में स्थित है, जमाबन्दी की नकले शामिल पत्रावली है।

चक 8 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर में स्वीकृत शुद्धा रास्ता मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 5 तक आता है इसके आगे अरसा दराज से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 5, मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 तथा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 एवम् किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहा है जिससे होकर प्रार्थीयान अपनें मुरब्बा नम्बर 12 व 19 में आ जा रहे है। क्योंकि मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 5 प्रार्थीयान के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 व मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 5 के साथ लगता हुआ है। इस प्रचलित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीयान के रकबा के लिये नहीं है, चक प्लान की नकल शामिल है, जिसमें उपरोक्त प्रचलित रास्ता को दर्शाया हुआ है।

मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 अप्रार्थी प्रदीप कुमार के नाम खाता संख्या 39/42 में स्थित है जिसमें से रास्ता चल रहा है मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 1/3 का रकबा अप्रार्थी महेन्द्रसिंह जगसीरसिंह, इन्द्रजीतसिंह के नाम से खाता संख्या 53/50 में स्थित है तथा मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 1/2 अप्रार्थी गुरतेजसिंह के नाम खाता संख्या 14/16 में स्थित है तथा मुरब्बा नम्बर 36 का किला नम्बर 2, 3, 4, 5 का रकबा अप्रार्थी गुरदीपसिंह के नाम खाता संख्या 18/28 में स्थित है तथा मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 5 का रकबा सुखराजसिंह अप्रार्थी के नाम खाता संख्या 66/61 में स्थित है एवम् मुरब्बा नम्बर 29 का किला नम्बर 20, 21 का रकबा गुरदीपसिंह अप्रार्थी के नाम खाता संख्या 15/13 में स्थित है तथा किला नम्बर 1, 10, 11 का रकबा अप्रार्थी रणजीतकौर, इकबालसिंह के नाम खाता संख्या 54/56 में स्थित है तथा मुरब्बा नम्बर 20 का रकबा किला नम्बर 1 ता 5 व 10 अप्रार्थी कुलवीरसिंह पुत्र हरनेकसिंह के नाम खाता संख्या [illegible] में स्थित है तथा मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 11, 20 का रकबा रणजीतसिंह पुत्र [illegible] अप्रार्थी के नाम 55 [illegible] में स्थित है जमाबन्दियों की नकले शामिल है।

अप्रार्थीयान के उपरोक्त रकबा में से रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक है मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 21 प्रार्थी कुलदीपसिंह का है जिसको रास्ता स्वीकृत में आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीयान में पूर्व में कभी उनके रकबा में से चल रहे रास्ता में आनें जानें में बाधा पैदा नहीं की मगर अब गलत तौर से लालचवश होनें से बाधा पैदा कर रहे है, इन हालात में उपरोक्त प्रचलित रकबा को स्वीकृत करवाना व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है, जिससे की भविष्य में रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके।

अतः चक 8 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 5 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 5 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 20, 11, 10, 1 व 1 ता 5 में अप्रार्थीयान की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करनें तथा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 में प्रार्थी संख्या 1 की भूमि में रास्ता स्वीकृत करनें का आदेश फरमाया जावे। हांलाकि अप्रार्थीयान के रास्ता में कभी आपत्ति नहीं है अतः किसी मुआवजा का प्रश्न नहीं है अगर न्यायालय यदि डी.एल.सी. रेट से मुआवजा दिलाना चाहेगी तो प्रार्थीयान देनें को सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य सुविधाजनक रास्ता का विकल्प नहीं है, उक्त मुरब्बों में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हुआ। मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 5 कोनें में मुरब्बा नम्बर 37, 36, 35, 29, 20 किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 1 से 5 में कुछ भाग कुछ साथ लगते मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 से 25 के कुछ भाग में रास्ता चालु है, मुरब्बा नम्बर 20 में ज्यादा व मुरब्बा नम्बर 11 में कम रास्ता चालू यानि पत्थर लाईन के दोनों तरफ रास्ता चालू है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 7, 12 व 17 की तामिल रजिस्टर्ड सम्मन से होनें पर भी न्यायालय में असालत/वकालतन उपस्थित नहीं आनें के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 19.01.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 ता 15 की तलबी विधिवत नहीं होनें के कारण स्थानिय समाचार पत्र के माध्यम से तलबी करवाई गई परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आनें के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 03.04.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बिन्दूवार जबाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत ना कर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 5 व मुरब्बा नम्बर 36, 37, 35 प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे जो कि कुलदीपसिंह प्रार्थी संख्या 1 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 को जाकर लगेगा तथा किला नम्बर 21 से 25 कुलदीपसिंह का स्वयं का होने से प्रार्थीयान इस रकबा में से होकर मुरब्बा नम्बर 19 में जो सकेगें। अतः यह रास्ता प्रस्तावित रास्ता से दो मुरब्बा कम लम्बाई का होनें से स्वीकृत करनें में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

दिनांक 30.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित लोक अदालत के दौरान मनमोहनसिंह पुत्र मलुकसिंह निवासी हिन्दुमलकोट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुरब्बा नम्बर 37, 36, 35 किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 व मुरब्बा नम्बर 20

किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 व किला नम्बर 1 से 5 व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 से 5 तक चालू रास्ता को आगे मुरब्बा नम्बर 13 में किला नम्बर 21 जो मेरे नाम से है को रास्ता बनानें के लिये निःशुल्क देनें को तैयार हूँ, मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 22 ता 24 में रास्ता मन्जूर है। अतः रेल्वे स्टेशन तक रास्ता स्वीकृत करनें की कृपा करें।

प्रार्थी मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया कि चक 8 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 37 प्रत्येक के किला नम्बर 1 से 5 मुरब्बा नम्बर 20, 29 के प्रत्येक किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 से 5 में से प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह मौके पर आदिनांक 08.05.2018 को जब मौका देखा गया चालू पाया गया।

प्रार्थी कुलदीपसिंह, करनैलसिंह नें मौका पर उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 से 5 तक और बढ़ानें के लिये एक आवेदन किया है कुलदीपसिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 19 में किला नम्बर 2/2 में 0.051, किला नम्बर 3 ता 5 सालम दर्ज रिकार्ड है मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1/.237, 2/.202 अप्रार्थी कुलवीरसिंह/हरनेकसिंह के नाम दर्ज है। मौके पर मनमोहनसिंह नें उक्त रास्ता को मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21 से 24 होते हुए स्टेशन तक बढ़ानें के लिये आवेदन किया है मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 22 से 24 में रास्ता के लिये प्रकरण आपके न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित लोक अदालत के दौरान पक्षकारान को सुना गया तथा भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मौके पर भौतिक निरीक्षण किया गया दौरानें भौतिक निरीक्षण पाया गया कि प्रकरण में चाहा गया रास्ता मौके पर चालु है तथा निरीक्षण के दौरान प्रार्थी मनमोहनसिंह पुत्र मलुकसिंह निवासी हिन्दुमलकोट द्वारा मौके पर निवेदन किया कि उक्त चालु रास्ते को और आगे बढाया जावे ताकि रास्ता हिन्दुमल कोटे रेलवे स्टेशन से भी जुड़ जावेगा ताकि आमजन को इस रास्ते का लाभ भी मिलेगा साथ ही उक्त रास्ता दो गांवों को भी जोड़ेगा। दौरानें मौका निरीक्षण चाहे गये रास्ते की मांग उचित होनें के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सार्वजनिक हितो को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

— :: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) व सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8 (2) के अन्तर्गत चक 8 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 5 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 5 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 व 1 ता 5 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1 ता 5 तथा मुरब्बा नम्बर 12 में किला नम्बर 25 में .001 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21 से 24 में पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा भूमि में मौके पर चालु रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि वे उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

[illegible] दिनांक 30.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 [illegible] हिन्दुमलकोट में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे [illegible]